

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2013

क्रमांक एफ 1-11/2013/स्था/चार :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 कहलायेंगे।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (ख) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति;
 - (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
 - (घ) "संचालक/आयुक्त" से अभिप्रेत है संचालक/आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़;
 - (ङ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;
 - (च) "वित्त सचिव" से अभिप्रेत है सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;
 - (छ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (ज) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
 - (झ) "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन या इनके प्रारंभ होने के पूर्व बनाये गये नियम या जारी आदेश के अनुसार सेवा संवर्ग में किसी पद पर मूल रूप से नियुक्त व्यक्ति;
 - (ञ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5, पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
 - (ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
 - (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
 - (ड) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
 - (ढ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित);
 - (ण) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
4. **सेवा का गठन.**— (क) सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—
- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।
- (ख) **सेवा का प्रारंभिक गठन** — सेवा का प्रारंभिक गठन निम्नानुसार किया जायेगा:—
- (1) राज्य वित्त सेवा के वे अधिकारी जिनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया हो तथा जो राज्य शासन के विभिन्न विभागों में सेवारत हों।
 - (2) शेष (बची हुई) ऐसी रिक्तियाँ, जिन्हें शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा से पदोन्नति द्वारा भरी गई हों। प्रत्येक तरीके से इस प्रकार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या शासन द्वारा अवधारित की जायेगी।
5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:
- परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।
6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—
- (क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से या मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा;
 - (ख) छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
- (2) उप-नियम (1) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
 - (3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।
 - (4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग के परामर्श के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथासंशोधित) भी लागू होंगे।

7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.— सीधी भर्ती/चयन के लिए पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(एक) आयु— (क) विज्ञापन के जारी होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित हों तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किराी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा,

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समयपूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(चार) अवकाश रिक्तियों पर 6 (छः) माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

- (छ.) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;
- (ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- टीप—(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात्, सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा अथवा पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
- (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- (द) उपरोक्त संदर्भों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;
- (ड) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (घ) **शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव.**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शित है।

- (तीन) (क) फीस.— अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।
- (ख) स्वास्थ्य परीक्षा फीस.— उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस देनी होगी, जो कि शासन द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये।

9. निरर्हता.— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

- (1) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- (2) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

- (3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) चयन हेतु प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (2) चयन प्रक्रिया के समय अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।
11. चयन/प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.— (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय-समय पर, अवधारित करे।
- (2) प्रतियोगिता परीक्षा, आयोग के परामर्श से शासन द्वारा समय-समय पर जारी पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं निर्देश के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी।
- (3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।
- (4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इसके अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा।
- (6) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियम/नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।
- (7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (8) उपरोक्त के अतिरिक्त, उन अभ्यर्थियों की, जो महिला/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

- (9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप-नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. आयोग द्वारा चयनित किये गये अभ्यर्थियों की सूची.— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमि-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो तथा महिला, निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक के प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थी, जो आरक्षण के फलरूपरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनकी (ऐसे अभ्यर्थियों की) मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता, नियुक्ति के लिए शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

- (2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।
- (3) आयोग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रत्येक प्रवर्ग के लिए एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों की अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से डेढ़ वर्ष होगी।

स्पष्टीकरण— प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, पाइंट को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

- (4) आयोग, उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

- (5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि में उपस्थिति दर्ज न कराने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशासित किये जा सकेंगे।
- (8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशासित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।
- (9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को उसका युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।
- (10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि होने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हो जाना माना जायेगा।
- (11) उप-नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन ने वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश न किया हो।

13. परिवीक्षा.— (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

- (2) यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- (3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे :

परन्तु, इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

- (2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।
- (3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।
- (4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें— (1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को/अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी संवर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ष में विद्यमान पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।
- (दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो वहां विचारण के लिए क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से

चार अधिक होगा । यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण का क्षेत्र में कुल रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी । समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी ।

- (3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा ।
- (4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी ।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश पदोन्नति के लिये लागू होंगे ।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी । इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे ।

- (2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी ।
- (3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा ।
- (4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी ।

17. **आयोग से परामर्श.**— (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख ।

- (दो) अनुसूची-चार के कॉलम (4) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख, जिनका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण प्रस्तावित है।
- (तीन) अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण।
- (चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।
- (2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहें हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप-नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन दिया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।
18. **चयन सूची-** (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।
- (2) यदि आयोग, सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, अपनी राय, यदि कोई हो, से शासन को सूचित करेगा, किन्तु एक बार उस पर विचार करते हुए, आयोग सूची को आवश्यक संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो, अनुमोदित करेगा।
- (3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची-चार के कॉलम (5) में यथा उल्लिखित पदों पर, सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।
- (4) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी।
19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति-** (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुसरण किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।
- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

20. **परिवीक्षा**— सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. (क) सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्त— सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में सेवारत/कार्यरत केवल ऐसे अधिकारी, वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र होंगे, अर्थात्—

- (1) जिन्होंने चयन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को, सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
- (2) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को, सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त किये जाने हेतु अनुसूची-चार के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
- (3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा।
- (4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, सामान्यतः आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, उसमें से नियुक्तियां की जायेंगी।
- (5) उपरोक्त उप-नियम (4) के अध्यधीन रहते हुए शासन द्वारा अनुमोदित चयन सूची, ऐसे अनुमोदन की तारीख से उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी:

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों से हो, उक्त समयवधि की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगा।

(ख) सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्त —(1) सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने चयन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को, सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

- (2) सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को, सेवा की प्रवर श्रेणी में नियुक्त किए जाने हेतु अनुसूची-चार के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
- (3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा।
- (4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, सामान्यतः आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में, उसमें से नियुक्तियां की जायेंगी।

- (5) उपरोक्त उप-नियम (4) के अध्यधीन रहते हुए शासन द्वारा अनुमोदित चयन सूची, ऐसे अनुमोदन की तारीख से उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी:

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां तक कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों से हो, उक्त समयावधि की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगा ।

- (ग) सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें - (1) सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने चयन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को, सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में 5 वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो ।

- (2) सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को, सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्त किए जाने हेतु अनुसूची-चार कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

- (3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा ।

- (4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, सामान्यतः आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में, उसमें से नियुक्तियों की जायेगी ।

- (5) उपरोक्त उप-नियम (4) के अध्यधीन रहते हुए शासन द्वारा अनुमोदित चयन सूची, ऐसे अनुमोदन की तारीख से उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी :

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां तक कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों से हो, उक्त समयावधि की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगा ।

- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें - (1) छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के केवल ऐसे अधिकारी, अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने चयन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत हो ।

- (2) सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को, सेवा के अधिसमय वेतनमान में नियुक्त किए जाने हेतु अनुसूची-चार के कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।

- (3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा ।

- (4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, सामान्यतः आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात् सेवा के अधिसमय वेतनमान में, उसमें से नियुक्तियों की जायेंगी।
- (5) उपरोक्त उप-नियम (4) के अध्यधीन रहते हुए शासन द्वारा अनुमोदित चयन सूची, ऐसे अनुमोदन की तारीख से उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी :

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणतः या जहां तक कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी या अधिकारियों से हो, उक्त समयावधि की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगा ।

22. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
23. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

24. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

- (2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद के संवर्गों का विवरण एवं उनका वेतनमान	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	कनिष्ठ वेतनमान 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	143	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	53%
		वरिष्ठ वेतनमान 15600-39100 ग्रेड वेतन 6600	68	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	25%
		प्रवर श्रेणी वेतनमान 15600-39100 ग्रेड वेतन 7600	40	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15%
		वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान 37400-67000 ग्रेड वेतन 8700	14	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	05%
		अधिसमय वेतनमान 37400-67000 ग्रेड वेतन 8900	05	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	02%

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		टीप
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (1) (क) देखिये	पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिये	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	270	50%	50%	कनिष्ठ वेतनमान में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति तथा वरिष्ठ वेतनमान/प्रवर श्रेणी वेतनमान/वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान /अधिसमय वेतनमान में कमोन्नति हेतु पदों की गणना, संवर्ग के पदों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी।

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम जिससे नियुक्ति की जानी है	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक संचालक/आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी/प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि	

टीप- ऐसे अभ्यर्थियों, जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं, के लिए, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची-चार
(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स. क.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति/नियुक्ति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति/नियुक्ति की जानी है	पदोन्नति/नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए अनुभव की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा रोवा	सहायक कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/व्याख्याता, लेखा प्रशिक्षण शाला	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा, कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक संचालक/आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी/प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला	05 वर्ष	1. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अनुशंसित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य -अध्यक्ष 2. सचिव वित्त -सदस्य 3. आयुक्त/संचालक, कोष, लेखा तथा पेंशन -सदस्य

2.	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ सहायक संचालक/ आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी/ प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा वरिष्ठ वेतनमान/ वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/ वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ उप संचालक	06 वर्ष	1. सचिव वित्त-अध्यक्ष 2. अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग-सदस्य 3. सचिव/ विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव, वित्त -सदस्य 4. आयुक्त/ संचालक, कोष, लेखा तथा पेंशन-सदस्य
3.	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	वरिष्ठ वेतनमान- वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/ वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ उप संचालक	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा प्रवर श्रेणी-संयुक्त संचालक/ मुख्य लेखा अधिकारी/ वित्तीय सलाहकार (संयुक्त संचालक स्तर)	04 वर्ष	1. वित्त सचिव-अध्यक्ष 2. अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग-सदस्य 3. सचिव/ विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव, वित्त- सदस्य 4. आयुक्त/ संचालक कोष, लेखा तथा पेंशन- सदस्य
4.	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	प्रवर श्रेणी - संयुक्त संचालक/ मुख्य लेखा अधिकारी/ वित्तीय सलाहकार	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा - वरिष्ठ प्रवर श्रेणी-अपर संचालक	05 वर्ष	1. वित्त सचिव-अध्यक्ष 2. अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग -सदस्य. 3. सचिव/ विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव, वित्त-सदस्य 4. आयुक्त/ संचालक, कोष, लेखा तथा पेंशन-सदस्य
5.	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी-अपर संचालक	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा-अधिसमय वेतनमान-संचालक/ वित्तीय सलाहकार (संचालक स्तर)	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा में 25 वर्ष की सेवा तथा सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में कार्यरत।	1. वित्त सचिव-अध्यक्ष 2. अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग -सदस्य. 3. सचिव/ विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव, वित्त-सदस्य 4. आयुक्त/ संचालक, कोष, लेखा तथा पेंशन-सदस्य

Naya Raipur, the 5th June 2013

No. F 1-11/2013/Est./Four :: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh State Finance Service (Gazetted), namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh State Finance Service (Gazetted) Rules, 2013.
 - (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government of Chhattisgarh;
 - (b) "Committee" means a Selection Committee meant for Departmental Promotion as specified in Schedule-IV;
 - (c) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;
 - (d) "Director/Commissioner" means the Director/Commissioner of the Treasury, Accounts and Pension, Chhattisgarh;
 - (e) "Examination" means the competitive examination held for recruitment conducted under rule 11 of these rules;
 - (f) "Finance Secretary" means the Secretary of Finance Department of the Government of Chhattisgarh;
 - (g) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
 - (h) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
 - (i) "Member of Service" means persons appointed substantively to the post in the cadre of the service as per the rules and orders issued under or before the commencement of these rules;
 - (j) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5, XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
 - (k) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
 - (l) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
 - (m) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
 - (n) "Service" means the Chhattisgarh State Finance Service (Gazetted);
 - (o) "State" means the State of Chhattisgarh.
3. **Scope and application.**- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.-** (A) The service shall consist of the following persons, namely :-

- (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
- (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

(B) **Preliminary constitution of service-** The preliminary Constitution of Service shall be formed, as follows:-

- (1) Those State Finance Service Officers, whose selection has been made by the Public Service Commission and who are serving in different departments of the State Government.
- (2) The remaining such vacancies, which have been filled through the promotion from Chhattisgarh Sub-ordinate Accounts Service by the Government. The number of vacancies to be filled so by each method, shall be determined by the Government.

5. **Classification, scale of pay etc. –** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**—(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

- (a) by direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;
 - (b) by promotion of members of Chhattisgarh Sub-ordinate Account Service.
- (2) The number of persons recruited under sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.
 - (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.
 - (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may after consultation with the Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

- (5) At the time of recruitment to the service the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in service.** – All the appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

- (I) **Age-** (a) He must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of issue of the advertisement;
- (b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (five) years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);
- (c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 (ten) years as per the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;
- (d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-
- (i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;
- (ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;
- (iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (seven) years even if represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 (three) years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service;

- (e) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service :-

- (i) Ex-servicemen released under mustering out concession;
 - (ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-
 - (a) Completion of short term engagement;
 - (b) On fulfilling the conditions of the enrollment.
 - (iii) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);
 - (iv) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 (six) months continuously against leave vacancies;
 - (v) Ex-servicemen invalidated out of service;
 - (vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
 - (vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.
- (f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 (two) years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;
- (g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive scheme as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage, Promotional Scheme under untouchability Eradication Rules, 1984;
- (h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 (five) years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchandra Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates;
- (i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards:

- (j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 (eight) years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) The candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8(d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.

- (2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

- (k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

- (l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.

(II) Educational qualifications and experience – The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for service as shown in Schedule-III.

(III) (A) Fees – The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

(B) Medical Examination Fees - Those candidates, who have required for appearance before Medical Board, must pay the fees to Chairman of the Medical Board before medical examination, which has prescribed by the State Government, from time to time.

9. Disqualification. – Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be disqualified for selection.

- (1) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule in such candidates.

- (2) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

- (3) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.
- (4) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

- (5) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.
- (6) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.— (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/ interview, shall be allowed to be appear in the examination or interview.

- (2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. Direct recruitment by Selection/Competitive Examination/ Interview.— (1) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

- (2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time.
- (3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.
- (4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the directions issued under it by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

- (5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.
- (6) In addition to above, the post for disabled/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instructions issued by the Government from time to time.
- (7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (8) In addition to above the candidates who may women/disabled/ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.
- (9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7) as the case may be.
- (10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. List of candidates selected by the Commission.- (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, disabled/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

- (2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.
- (3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, point shall be extended to the next integral number.

- (4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.
- (5) Subject to the provisions of this rule and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.
- (8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.
- (9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.
- (10) On extending the validity period of select list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.
- (11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. Probation.- (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

- (2) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.
- (3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

14. Appointment by promotion.- (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

- (2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
- (3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

- (4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.
- (5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

- 15. Conditions regarding eligibility for promotion.-** (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (4) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (6) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation - Method of computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

- (2) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.
- (ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

- (3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).
- (4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.
- (5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

16. Preparation of list of suitable candidates.- (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of 1 year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

- (2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rules, 2003.
- (3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- (4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

17. Consultation with the Commission.- (1) The list prepared in accordance with Rule 16 shall be sent to the Commission along with following documents:-

- (i) the record of all the persons included in the list.
 - (ii) record of all such persons mentioned in column (4) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.
 - (iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (3) of Schedule-IV.
 - (iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.
- (2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. Select list.- (1) Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the committee, if it feel that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

- (2) If the Commission feels that there is need of some changes in the list, then Commission shall inform the Government with its opinion if any, but once it is

considered, the commission shall approve the list with necessary changes, if any, which it thinks justified and reasonable.

- (3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of Civil Services as mentioned in column (4) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (5) of Schedule-IV.
- (4) The select list shall ordinarily valid upto 31st December of the calendar year from the date of its preparation.

19. Appointment to the service from the select list.- (1) Appointment of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.

- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. Probation.- Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

21. (A) The conditions of eligibility for appointment in senior pay scale of service – Only such officers serving / working in the junior pay scale of the service shall be eligible for consideration in the appointment in senior pay scale, namely,-

- (1) Who has completed the 6 years service in the junior pay scale on the 1st January of the year in which the selection is made.
- (2) Officers working in junior pay scale to the service shall be considered by the Committee specified in column (7) of Schedule- IV for appointment in senior pay scale to the service.
- (3) Selection shall be made on the basis of "seniority-cum merit".
- (4) The selection list as per above shall be generally prepared considering the requirements of upcoming one year and appointments shall be made from it, in the senior pay scale of the service after approval from the State Government.
- (5) Subject to the above sub-rule (4) the selection list approved by the Government shall be valid for the period till 31st December of that year from the date of such approval:

Provided that Government can review or revise the selection list even before the lapse of said time period, in general or as far as concerned with any specific officer or officers.

- (B) The conditions of eligibility for Appointment in the selection grade pay scale of service-** (1) Only such officers of service shall be eligible for consideration to the appointment in selection grade pay scale who has completed the 4 year's service in the senior pay scale on the 1st January of the year in which the selection is made.
- (2) Officers working in senior pay scale to the service shall be considered by the Committee specified in column (7) of Schedule IV for appointment in selection grade to the service.
- (3) Selection shall be made on the basis of "seniority - cum - merit".
- (4) The selection list as per above shall be generally prepared considering the requirements of upcoming one year and appointments shall be made from it, in the Selection Grade Pay Scale of the service after approval from the State Government.
- (5) Subject to the above sub-rule (4) the selection list approved by the Government shall be valid for the period till 31st December of that year from the date of such approval:

Provided that the Government can review or revise the selection list even before the lapse of said time period, in general or as far as concerned with any specific officer or officers.

- (C) The conditions of eligibility for Appointment in the senior selection grade pay scale of service--** (1) only such officers of the service shall be eligible for consideration to the appointment in senior selection grade pay scale, who has completed the 5 year's service in selection grade pay scale to the service on the 1st January of the year in which the selection is made.
- (2) Officers working in selection grade pay scale to the service shall be considered by the Committee specified in column (7) of Schedule IV for appointment in senior selection grade to the service.
- (3) Selection shall be made on the basis of "seniority - cum merit".
- (4) The selection list as per said above shall generally be prepared considering the requirements of upcoming one year and appointments shall be made from it, in the senior selection grade pay scale of the service after approval from the State Government.
- (5) Subject to the above sub-rule (4) the selection list approved by the Government shall be valid for the period till 31st December of that year from the date of such approval:

Provided that the Government can review or revise the selection list even before the lapse of said time period, in general or as far as concerned with any specific officer or officers.

(D) The conditions of eligibility for Appointment in the Super time pay scale of the Chhattisgarh State Finance Service-

- (1) Only such officers of the Chhattisgarh State Finance Service shall be eligible for consideration to the appointment in Super Time pay scale who has completed the 25 years service in the Chhattisgarh State Finance service on the 1st January of the year in which the selection is made and working in senior selection Grade pay scale.
- (2) Officers working in senior selection grade pay scale to the service shall be considered by the Committee specified in column (7) of Schedule IV for appointment in super time pay scale to the service.
- (3) Selection shall be made on the basis of "seniority - cum merit".
- (4) The selection list as per above shall be generally prepared considering the requirements of upcoming one year and appointments shall be made from it, in the Super Time Pay Scale of the service after approval from the State Government.
- (5) Subject to the above sub-rule (4) the selection list approved by the Government shall be valid for the period till 31st December of that year from the date of such approval:

Provided that the Government can review or revise the selection list even before the lapse of said time period, in general or as far as concerned with any specific officer or officers.

22. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

23. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

24. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. J. KHATRI, Joint Secretary.

SCHEDULE- I

(See Rule 5)

Name of the Department	Name of the Service	Description of categories of posts and their pay scales	Total number of posts sanctioned	Classification	Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	Chhattisgarh State Finance Service	Junior Scale 15600-39100 Grade pay 5400	143	Gazetted Class II	53%
		Senior Scale 15600-39100 Grade pay 6600	68	Gazetted Class I	25%
		Selection Grade Scale 15600-39100 Grade pay 7600	40	Gazetted Class I	15%
		Senior Selection Grade Scale 37400-67000 Grade pay 8700	14	Gazetted Class I	05%
		Super time pay scale 37400-67000 Grade pay 8900	05	Gazetted Class I	02%

SCHEDULE- II

(See Rule 6)

Method of Recruitment

Name of the Department	Name of the services	Total number of post	Percentage of number of the posts to be filled in		Note
			By direct recruitment See Rules 6(1) (a)	By promotion See Rules 6(1)(b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	Chhattisgarh State Finance Service	270	50%	50%	Counting of post for the direct recruitment and promotion to Junior Pay Scale and Kramonnati for Senior pay scale /Selection Grade pay scale / Senior selection pay scale /Super time pay Scale by made on the basis of total number of posts in the cadre .

SCHEDULE- III

(See Rules 8)

Name of the Department	Name of the Service	Name of the posts from which appointment is to be made	Minimum age limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Finance Department	Chhattisgarh State Finance service	Junior scale Treasury Officer/ Accounts Officer/ Assistant Director/ Internal Audit Officer/ Principal Accounts Training School	21 years	30 years	Degree from any recognized University	

Note- The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE -IV

(See Rules 14 and 15)

S. No.	Name of the Department	Name of the Service	Name of the posts from which promotion/ appointment is to be made	Name of the posts on which promotion / appointment is to be made	Minimum period of experience for eligibility of promotion/ appointment	Name of members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Finance Department	Chhattisgarh subordinate Accounts service	Assistant Treasury Officer/ Assistant Audit Officer / sub treasury officer/ Lecturer, Accounts Training school	Chhattisgarh State finance service, Junior scale Treasury Officer/ Accounts Officer/ Assistant Director/ Internal Audit Officer/ Principal Accounts Training School	05 years	1 Chairman of Chhattisgarh Public Service Commission or any member of Chhattisgarh Public Service Commission recommended by Chairman-Chairman 2. Finance Secretary-Member 3. Commissioner/ Director, Treasuries, Accounts and Pension -Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.		Chhattisgarh State Finance	Junior scale Treasury Officer/ Accounts Officer/ Assistant Director/ Internal Audit Officer/ Principal Accounts Training School	Chhattisgarh State Finance service senior pay scale/ Senior Treasury Officer/ Senior Accounts Officer/ Deputy Director	06 years	1 Finance Secretary-Chairman 2. Additional Secretary/ Joint Secretary GAD - Member 3. Secretary/Special Secretary/Joint Secretary, Finance - Member 4. Commissioner/ Director, Treasuries, Accounts and Pension - Member
3.		Chhattisgarh State Finance	Senior pay scale- Senior Treasury Officer/ Senior Accounts Officer/ Deputy Director	Chhattisgarh State Finance service Selection grade- Joint Director / Chief Accounts officer/ Financial Adviser (Joint Director level)	04 years	1 Finance Secretary-Chairman 2. Additional Secretary/ Joint Secretary, GAD-Member 3. Secretary/ Special Secretary/ Joint Secretary, Finance - Member 4. Commissioner / Director, Treasuries, Accounts and Pension -Member
4.		Chhattisgarh State Finance	Selection grade - Joint Director/ Chief Accounts Officer/ Financial Adviser	Chhattisgarh State Finance service- Senior Selection Grade - Additional Director	05 years	1 Finance Secretary-Chairman 2. Additional Secretary/Joint Secretary GAD-Member 3. Secretary/Special Secretary/Joint Secretary, Finance - Member 4. Commissioner / Director, Treasuries, Accounts and Pension - Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.		Chhattisgarh State Finance	Senior Selection Grade – Additional Director	Chhattisgarh State Finance Service- Super time pay scale- Director/ Financial advisor (Director Level)	25 years service in Chhattisgarh State Finance Service and working in Senior selection grade of the service	1. Finance Secretary- Chairman 2. Additional Secretary/Joint Secretary GAD- Member 3. Secretary/Special Secretary/Joint Secretary, Finance Member 4. Commissioner/ Director, Treasuries, Accounts and Pension – Member

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 जून 2013

क्रमांक/3914/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रामपुर प. ह. नं. 21/26	0.894	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)	खातूटोला बैराज के अंतर्गत शाखा नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.